Affiliated To : Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, Ranchi
Regtn. No. (SRA - 1860) : 708/2009-10 (Govt. of Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR

spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

PRESIDENT
ALOK KR. MALLICK
9934503132 | 8409386865

GENERAL SECRETARY
PRAMOD CHHAWCHHARIA
8709873483 | 9431132221

पत्रांक : SPCCI-19/2021-23 दिनांक : 28.02.2022

सेवा में,
श्री अमित कुमार टमारिया
उपनिदेशक (एमएसएमई पॉलिसी)
विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई पॉलिसी डिविजन)
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

Suggestion on Draft National Policy for MSME in India

महोदय,

संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, देवघर की ओर से अभिवादन!

आपके Office Memorandum PY-10024/6/2020-POLICY-DCMSME (E-17555) दिनांक 9 फरवरी 2022 के आलोक में निम्नलिखित सुझाव पर विचार करने का आग्रह करती है।

1. भारत में एमएसएमई के नियम और कानून बहुत जटिल हैं और राज्यों में अलग–अलग रूप से बदलते रहते हैं। अतः पूरे देश में एमएसएमई पर एक ही नीति हो – **'एक राष्ट्र एक नीति'** ताकि प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में एकरूपता बनी रहे। राज्यों को उन नियमों में आवश्यक अतिरिक्त लाभ या हित जोड़ने का अधिकार हो, लेकिन मूल पॉलिसी में कोई बदलाव न हो।
2. एमएसएमई को बैंक के ऋण की दर तथा जीएसटी सहित अन्य करों में प्रथम दस वर्षों तक आवश्यक रियायत का प्रावधान हो। एमएसएमई उत्पाद सेक्टर के लिए नियमित बिजली आपूर्त्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था और विशेष रियायत दर तथा प्रतिभूति जमा (Security Deposit) से छूट का प्रोविजन राष्ट्रीय नीति में शामिल हो।
3. एमएसएमई को सुलभ ऋण सुविधा, निम्नतम जोखिम फंड, कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता तथा सुनिश्चित बाजार या खपत की निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिले स्तर पर विशेष सेल / कमिटि बनाया जाय।
4. आवश्यक स्किल्ड लेबर की कमी को दूर करने के लिए एमएसएमई की मांग या जरूरत के अनुरूप आईटीआई जैसे संस्थानों को अपग्रेड कर जरूरी और उपयोगी वोकेशनल / प्रोफेशनल स्किल प्रशिक्षण की नीति बने।
5. इज ऑफ डुइंग बिजनेस (EoDB) की वर्तमान व्यवस्था को प्रभावी कारोबारी माहौल में परिणत करने के लिए नियमों में आवश्यक लचीलापन लायी जाय। इसके अंतर्गत विभिन्न 13–14 विभागों को सिंगल विण्डो सिस्टम में प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिलों में एक विशेष हाईपावर नोडल पदाधिकारी नियुक्त रहे। वर्तमान में प्रभावी इओडीबी मैनेजर की भूमिका से कारोबारियों को कोई लाभ नहीं मिलता है और वे भी उद्यमियों की तरह विभिन्न विभागों के आगे–पीछे दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करा पाते। अतः उन्हें सिंगल विण्डो सिस्टम में आवश्यक अधिकार दिया जाय ताकि उद्यमियों को वे आवश्यक तकनीक एवं लाइसेंस दिलाने में मदद पहुंचा सके।
6. एक राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाया जाय जिसके अंतर्गत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनया जाय जहां नये उद्यम अथवा उद्यमों को परिवर्द्धित या परिमार्जित करने को इच्छुक उद्यमियों को प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करने, आवश्यक और वैधिक लाइसेंस प्राप्त करने और फिर सरकार के स्कीमों का लाभ दिलाते हुए सुलभ ऋण की व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता के लिए मदद प्राप्त हो सके।

VICE PRESIDENT UMESH RAJPAL 9431781598 | 7250784754
VICE PRESIDENT SANJAY MALVIYA 9431134670 | 9576616022
VICE PRESIDENT PIYUSH JAISWAL 9431163649 | 7717726102
JOINT SECRETARY ANAND SAH 8521594569
TREASURER DEEPAK SARAIYAN 9386651205

Correspondence Add. : Swarn Computer Press, Hanuman Tikri, Front of Jalsar Park, Deoghar - 814112 (Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR
spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

7. एक ऑनलाइल एमएसएमई सुविधा सेल का गठन किया जाय तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए मोबाइल एप विकसीत किया जाय।

8. जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों में एमएसएमई के लिए एक **प्रोजेक्ट एप्रुवल कमिटि** बने जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी, प्रोफेशनल वित्तीय एवं तकनीकी सलाहकार, एमएसएमई विशेषज्ञ एवं कंसल्टेन्ट तथा स्थानीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि सदस्य हों। यह कमिटि उद्यमियों को प्रोजेक्ट बनाने, आवश्यक लाइसेंस लेने, ऋण दिलाने तथा बाजार उपलब्ध कराने में मदद करे।

9. एमएसएमई को प्रोत्साहन के लिए मिनिमम गवर्नेंस की नीति अपनाई जाय अर्थात उद्यमियों को उद्योग लगाने में कम से कम कागजी एवं लाइसेंस की प्रक्रिया में उलझाया जाय तथा कम से कम विभागों में दौड़ लगाना पड़े।

   सरकारी अधिकारी उद्योग लगने के बाद उद्यमियों को आवश्यक न्यूनतम प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करे तथा आवश्यक लाइसेंस निर्गत करे न कि उद्यमियों को लाइसेंस और आर्थिक दंड एवं पेनल्टी आदि के नाम पर भयादोहन करे।

10. प्रत्येक जिले में एक–एक **सूक्ष्म उद्योग पार्क** का निर्माण हो। जिलों की संभावनाओं के अनुसार 25 से 50 एकड़ की जमीन चिन्हित कर वहां 2000, 5000 एवं 10000 वर्गफीट के शेड का निर्माण हो जिसे माइक्रो इंडस्ट्रीज को निर्धारित प्रक्रिया के तहत उचित किराया पर आवंटिट किया जाय।

11. एमएसएमई एवं एनएसआईसी को छोटे शहरों एवं जिलों में जाकर प्रदर्शनी तथा उद्यमियों को तकनीकी एवं आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान किया जाय।

12. देश एवं संबंधित राज्यों के पिछड़े इलाके तथा औद्योगिक रूप से अविकसीत क्षेत्र को थ्रस्ट एरिया (Thrust Area) घोषित कर एमएसएमई के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज औश्र करों में छूट का प्रावधान निर्धारित किया जाय।

13. क्षेत्रवार वहां के प्रसिद्ध और पारंपरिक उद्यम अथवा प्रत्येक जिलों में एक उद्यम के कलस्टर विकास की योजना निर्धारित हो।

14. सरकारी, अर्द्धसरकारी, अंडरटेकिंग एवं सरकार द्वारा अनुदानित गैरसरकारी उपक्रमों में क्रय के लिए एमएसएमई को प्राथमिकता अनिवार्य किया जाय। इसके साथ ही पहले स्थानीय जिले, फिर राज्य और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के उद्यमियों/आपूर्तिकर्त्ताओं को प्राथमिकता अनिवार्य किया जाय। जिलों में आवश्यक क्रय में पहले वहां के स्थानीय उद्यमियों को ही प्राथमिकता मिले। स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता/उद्यमियों के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही राज्य के अन्य जिलों अथवा दूसरे राज्यों से क्रय किया जाय। इसके लिए प्रत्येक जिले के एमएसएमई उद्यमियों की ऑनलाइन लिस्टिंग सार्वजनिक रहे।

15. सरकार द्वारा अधिसूचित क्रय नीति में अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं रहता है। छोटे उद्यमी पूंजी के अभाव में उत्पादन या आपूर्ति करने की क्षमता रहने के बावजूद आपूर्ति आदेश लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अतः एक राष्ट्रीय एमएसएमई क्रय नीति बने जिसमें एमएसएमई को 60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान देने का प्रावधान किया जाय तथा शेष भुगतान आपूर्ति के पश्चात अधिकतम 30 दिनों के अंदर किये जाने का प्रावधान किया जाय।

    वर्तमान में भी 30 दिनों के अंदर भुगतान का प्रावधान है लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा होता नहीं है और न ही इसके लिए संबंधित अधिकारी पर कोई दंड निर्धारित है। अतः निर्धारित समय पर एमएसएमई को भुगतान नहीं करने वाले संबंधित एजेंसी या उपक्रम के जिम्मेदार व्यक्ति को 30 दिनों में भुगतान नहीं करने की स्थिति में पेनल्टी का प्रावधान किया जाय तथा उसे उनके वेतन से वसूलने का प्रावधान किया जाय।

भवदीय,

आलोक कुमार मल्लिक
अध्यक्ष